# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–30 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री दीपक कुमार यादव, पिता–योगेन्द्र प्र. यादव, ग्रा.+पो.–रायपुर, थाना–गड़खा,
जिला–सारण–841311

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 29.05.2023 | श्री दीपक कुमार यादव, पिता–योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रा.+पो.–रायपुर, थाना–गड़खा, जिला–सारण–841311 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–25.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक–29.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 292799 दिनांक–19.04.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।<br>अपीलार्थी श्री दीपक कुमार यादव ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–24.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही अपीलार्थी श्री यादव ने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–24.04.2023 की प्रति भी संलग्न किया है।<br>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।<br>अपीलकर्त्ता श्री दीपक कुमार यादव ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>29/5/2023<br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |